

विज्ञप्ति

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु शासनादेश संख्या 939/VI-2/.2011-6(3)2008 दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 504/VI-2/2013-6(3)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013, 429/VI-2/2014-6(3)2008 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, 364/VI-3/2020-6(3)2008 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 एवं 880(A)/VI-3/2021-06(03)/2008 दिनांक 17 नवम्बर, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से **वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21** (शासनादेश संख्या 429/VI-2/2014-6(3)2008 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक के जीवनकाल के समस्त उपलब्धियों के आधार पर) **एवं वित्तीय वर्ष 2021–22** (शासनादेश संख्या 880(A)/VI-3/2021-06(03)/2008 दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के आधार पर खेल रत्न हेतु 01 वर्ष की उपलब्धि एवं द्रोणाचार्य हेतु 03 वर्ष की उपलब्धि) हेतु उपरोक्तानुसार प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार हेतु **आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी **अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2022 (शनिवार) नियत** की जाती है। उक्त पुरस्कारों से संबंधित पूर्ण विवरण/दिशा-निर्देश तथा आवेदन फॉर्म खेल विभाग की वेबसाईट www.sports.uk.gov.in/Awards से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक खेल